

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-महासमुन्द

दूरभाष/फैक्स नं.07723-223484, 223110

E-mailAddress- rmsa.mahasamund@gmail.com

ज्ञाप.क्र./1144 /स्वा.आ.अ.मा.वि./संविदा भर्ती/विज्ञापन/2023 महासमुन्द, दिनांक 18/05/2023

### // संविदा भर्ती विज्ञापन //

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1913/1903/1905/1907/1909/1911 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16.05.2023 के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुमगांव/कोमाखान/पिरदा/सांकरा/भूकेल/भंवरपुर जिला महासमुन्द का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति तुमगांव/कोमाखान /पिरदा/सांकरा/भूकेल/भंवरपुर, जिला महासमुन्द को सौंपा गया है।

जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति तुमगांव/कोमाखान/पिरदा/सांकरा/भूकेल/भंवरपुर, जिला महासमुन्द को तालिका क्रमांक 01 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 24 पदों का सृजन की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार उक्त 06 विद्यालयों में 24 पदों की दर से कुल 144 पदों में संविदा भर्ती के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित है।

छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति नियम 2012) के अनुसार संविदा भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना है। संविदा नियुक्ति एक शिक्षा सत्र के लिये किया जाना प्रस्तावित है। आंकलन एवं कार्य क्षमता के आधार पर कालावधि बढ़ाया जा सकेगा।

निम्नानुसार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तुमगांव/कोमाखान/पिरदा/सांकरा/भूकेल/भंवरपुर में आरक्षण रोस्टर व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	पद	विषय	पदों की संख्या	वर्ग	संविदा नियुक्ति की स्थिति में देय वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	व्याख्याता	हिन्दी	1	अनाक्षित -01	38100/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. अनिवार्य।
2	व्याख्याता	संस्कृत	1	अनाक्षित -01	38100/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. अनिवार्य।
3	व्याख्याता	अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनाक्षित -01	38100/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. अनिवार्य। आवेदक को हाईस्कूल स्तर से सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी पात्र होंगे।
4	व्याख्याता	गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनाक्षित -01	38100/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. अनिवार्य। आवेदक को हाईस्कूल स्तर से सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी पात्र होंगे।
5	व्याख्याता	सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनाक्षित -01	38100/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. अनिवार्य। आवेदक को हाईस्कूल स्तर से सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी पात्र होंगे।
6	व्याख्याता	जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनाक्षित -01	38100/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. अनिवार्य। आवेदक को हाईस्कूल स्तर से सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी पात्र होंगे।

*Handwritten signature*



क्र.	पद	विषय	पदों की संख्या	वर्ग	संविदा नियुक्ति की स्थिति में देय वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
18	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला सहायक)	भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित -01	25300/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान (जीव विज्ञान/गणित) संकाय में भौतिकी एवं रसायन विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं आवेदक को हाईस्कूल स्तर से सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी होना अनिवार्य है।
19	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला सहायक)	रसायन/ जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित -01	25300/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान (जीव विज्ञान/रसायन) संकाय में जीव विज्ञान एवं रसायन विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं आवेदक को हाईस्कूल स्तर से सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी होना अनिवार्य है।
20	ग्रंथपाल	बी.लिब. (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित -01	22400/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं स्नातक (बी.लिब.) द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनिवार्य। आवेदक को हाईस्कूल स्तर से सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी पात्र होंगे।

टीप :- उपरोक्त विज्ञापित नवीन सेजेस विद्यालय तुमगांव/कोमाखान/पिरदा/सांकरा/भूकेल/भंवरपुर महासमुन्द के संविदा पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक/19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी। जिसमें जिले के सेटअप अनुरूप 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत महासमुन्द जिले के स्वागी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तुमगांव/कोमाखान/पिरदा/सांकरा/भूकेल/भंवरपुर के लिए शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ 24-24 की दर से 06 विद्यालयों में कुल 144 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से संविदा भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन 18/05/2023 से दिनांक 31/05/2023 को रात्रि 12.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

विज्ञापन का अवलोकन एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक जिले के वेबसाइट [www.mahasamund.gov.in](http://www.mahasamund.gov.in) पर उपलब्ध है।

**चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्त :-**

1. आवेदक जिला शिक्षा कार्यालय की गूगल फार्म लिंक

तुमगांव	-	<a href="https://forms.gle/tWggohsLgu9rKGR86">https://forms.gle/tWggohsLgu9rKGR86</a>
कोमाखान	-	<a href="https://forms.gle/wLlx9g8xaKF1khLY7">https://forms.gle/wLlx9g8xaKF1khLY7</a>
पिरदा	-	<a href="https://forms.gle/7DB2NbKX1oPNxwhy8">https://forms.gle/7DB2NbKX1oPNxwhy8</a>
सांकरा	-	<a href="https://forms.gle/g49zkdsNZs2TYvVq7">https://forms.gle/g49zkdsNZs2TYvVq7</a>
भूकेल	-	<a href="https://forms.gle/Z822d7wiNDc6AfFL6">https://forms.gle/Z822d7wiNDc6AfFL6</a>
भंवरपुर	-	<a href="https://forms.gle/aSMGZopjmu4LETAXA">https://forms.gle/aSMGZopjmu4LETAXA</a>

के लिये अलग-अलग गूगल फार्म लिंक के माध्यम से दिनांक 18/05/2023 से दिनांक 31/05/2023 को समय रात्रि 12.00 बजे तक आवेदन करना होगा। डाक से प्राप्त आवेदन अमान्य है।

2. पंजीकृत डाक अथवा ऑफ लाइन आवेदन अमान्य है।

3. दस्तावेजी सत्यापन हेतु आवेदकों को अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। सत्यापन हेतु 1:3 में आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित आवेदक अपने आवेदन एवं अभिलेख सहित उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण किया जाएगा, तथा शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।

4. विज्ञापित पदों पर चयन, निम्नानुसार विभिन्न परीक्षा के अधिभार के आधार पर किया जायेगा :-

क्र.	पदनाम	10वीं	12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
1	व्याख्याता	—	20	30	50	100
2	शिक्षक	20	30	50	—	100
3	कम्प्यूटर शिक्षक	20	30	50	—	100
4	व्यायाम शिक्षक	20	30	50	—	100
5	सहायक शिक्षक	40	60	—	—	100
6	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला	40	60	—	—	100
7	ग्रंथपाल	20	30	50	—	100

- चयन प्रक्रिया का आधार प्रावीण्य सूची होगी। साक्षात्कार अथवा लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थियों के पात्र पाये जाने पर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।
- संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति नियम) 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
- संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासकीय सेवा में समान पदों पर दावे की पात्रता नहीं होगी। शासन समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत की जा सकती है।
- अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल हिन्दी व संस्कृत के व्याख्याता के लिये कक्षा 10वीं एवं समय उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बंधनकारी नहीं होगा।
- आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जायेगी उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सेजेस में कार्यरत संविदा शिक्षकीय कर्मचारी समान पद हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल उच्च पद हेतु आवेदन कर पायेंगे। इस हेतु शपथ पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे कि समान पद पर आवेदन नहीं किये हैं।
- छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिए लागू होगा।
- संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन होंगे।
- संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ. ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, कि पात्रता नहीं होगी।
- विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा स्वा.आ.उ.अ.मा.वि. प्रबंधन समिति के द्वारा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।

*mud*

16. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे, अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
18. एक से अधिक आवेदन भरे जाने पर प्रथम आवेदन को ही मान्य किया जायेगा। शेष आवेदन स्वमेय निरस्त माना जायेगा।
19. शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
20. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
22. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छ.ग. शासन की नियमों के अनुसार छूट की पात्रता होगी।
23. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
24. अभ्यर्थी द्वारा कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा/पदच्युत किया जा सकेगा।
25. उक्त विज्ञापित शैक्षणिक पदों में दर्शित न्यूनतम योग्यता आवेदन दिनांक तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा और शिक्षक के लिये टी.ई.टी. (पूर्व माध्यमिक) एवं सहा. शिक्षक के पद हेतु टी.ई.टी. (प्राथमिक) उत्तीर्ण अनिवार्य होगा।

#### नियुक्ति अवधि :-

1. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति और स्वामी आत्मानंद शिक्षण समिति के निर्णय अनुसार सभी पदों पर संविदा नियुक्ति 01 वर्ष की कालावधि के लिए की जावेगी। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता तथा कर्मचारी की कार्यक्षमता का आंकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कालावधि बढ़ाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 03 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 03 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
3. अंतिम चयन सूची उपरांत बनाये गये प्रतीक्षा सूची 01 साल के लिए वैध होगी।

#### निरर्हताएँ :-

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वास्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये परन्तु अपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी, कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

*rule*

3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

### अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी :-

1. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
2. सत्यापन में अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य माना जायेगा।
3. महासमुन्द जिले में संचालित सेजेस में रिक्त पदों पर अभ्यर्थी योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थी की सहमति लेकर अन्य सेजेस स्कूलों में नियुक्ति कि जा सकेगी।

### अन्य निर्देश :-

1. नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन देय होगा।
2. नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ण भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
3. नियुक्ति पश्चात् अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस के भीतर शासकीय मेडिकल बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. विज्ञापन एवं अद्यतन जानकारी महासमुन्द जिले के वेबसाइट [www.mahasamund.gov.in](http://www.mahasamund.gov.in) पर अवलोकन करते रहें।

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष,


स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति  
जिला महासमुन्द द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव  
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट  
विद्यालय प्रबंधन समिति  
जिला - महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्र. /1145 /स्वा.आ.अ.मा.वि./संविदा भर्ती/विज्ञापन/2023  
प्रतिलिपि:-

महासमुन्द, दिनांक 18/05/2023

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द को सादर सूचनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को सूचनार्थ।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं जिले के अधिकृत वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
8. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला - महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।
9. समस्त सेजेस प्राचार्य, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव  
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट  
विद्यालय प्रबंधन समिति  
जिला - महासमुन्द (छ.ग.)